

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम मांगीराम पुत्र दानाराम जाट लादड़िया (मौलासर)

प्रा.पत्र नम्बर 115/2022

GCMS No.2022/229

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जारी हुए

22/7/2022

अप्राथी मांगीराम पुत्र दानाराम जाट लादड़िया (मौलासर) के निवेदन पर पत्रावली आज तलब की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 1104/185 रकबा 0.0883 हैक्टर भूमि खातेदारी की स्थित है, में अन्य खातेदारान के साथ खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरुद्ध एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी वाणिज्यिक प्रयोजन रूपान्तरण कराना चाहता है जिसके लिए राज. भू- राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत आवेदन संख्या LC/2022-23/129476 Date 20.07.2022 को उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी के कार्यालय में ऑन लाईन आवेदन किया गया है, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपने-अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में ऑन लाईन आवेदन संख्या LC/2022-23/129476 Date 20.07.2022 जमा पत्रावली राज. भू- राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के तहत विचाराधीन है, इस न्यायालय द्वारा स्थगन होने से रूपान्तरण की कार्यवाही आगे नहीं हो पा रही है। प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रथम दृष्टया मामला सुवधि का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होते हैं अतः पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.06.2022 एवं प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)